...ा की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, छत्तरपुर (पलामू)।

आदेश

विविध वाद संख्या—03/2018—19

धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता

महेश्वर यादव ———— प्रथम पक्ष

बनाम

मथुरा साव वगैरह———————— द्वितीय पक्ष

07.06.2018

यह प्रक्रिया थाना प्रभारी, पीपरा के अप्राथमिकी संख्या—01/18 दिनांक 12.03.2018 के आधार पर धारा 144 द0प्र0सं0 अन्तर्गत प्रक्रिया प्रारम्भ की गई। प्रक्रिया की भूमि मौजा— चिनगुआ के खाता संख्या— 5, प्लॉट सं0— 7, रकबा— 1.71 एकड़, जिसकी चौहद्दी उतर— प्रति कदीम, दक्षिण— रास्ता, पूरब— टांड़ नीज, पश्चिम— टांड़ नीज एवं खाता सं0—5, प्लॉट सं0— 8, रकबा— 1.21 एकड़ जिसकी चौहद्दी उतर— प्रति कदीम, दक्षिण— रास्ता, पूरब— कदीम, पश्चिम— सुखदेव अहिर से संबंधित है। तदनुसार उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर उनसे कारण पृच्छा की मांग की गई। नोटिस के आलोक में उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए एवं कारण पृच्छा दाखिल किये।

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने अपने कारण पृच्छा के अनरूप बहस करते हुए बताया कि यह वाद ग्राम— चिनगुआ, थाना— हरिहरगंज के खाता सं0— 5, प्लॉट सं0— 7, रकबा— 1.21 एकड़ एवं खाता सं0— 5, प्लॉट सं0— 8, रकबा—1.71 एकड़ भूमि से संबंधित है। खाता सं0— 5 का खतियान पहल अहीर के नाम से था जो प्रथम पक्ष के दादा

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश की कम संख्या और तारीख कार्रवाई टिप्पणी सहित
1	2	3

थे। खाता सं0— 5 देवगन स्टेट की जमीन थी और पहल अहीर देवगन स्टेट के अधिनस्त भूतपूर्व जमीन्दार थे । पहल अहीर ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 85 के अंतर्गत राजस्व पदाधिकारी के समक्ष माल तफसीफ का आवेदन पत्र दिये थे जो पिछले सर्वे के खतियान के पर्चा में दर्ज है। प्रथम पक्ष के महेश्वर यादव पहल अहीर के वारिसान हैं और खतियानी रैयत के आधार पर दखल— कब्जा एवं स्वामित्व कायम हुआ है। पहल अहीर के नाम से जमीन्दारी जाने के बाद जमाबंदी कायम हुआ है। प्रथम पक्ष स्वत्व वाद सं0— 71/2008 माननीय मुन्सफ, पलामू के न्यायालय में दायर किये थे जिसमें प्रथम पक्ष के पक्ष में आदेश पारित हुआ था लेकिन जिला सत्र न्यायाधिस, पलामू के द्वारा मुंसफ, पलामू के आदेश को रद्द कर दिया गया। वर्तमान में वाद भूमि से संबंधित मामला माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड में लंबित है। यह वाद दखल— कब्जा के स्थाई निदान हेतु धरा 145 दं0पं0सं0 के अंतर्गत परिवर्तन के लायक है जहाँ हमेशा के लिये दखल— कब्जा का निर्णय हो सकता है। द्वितीय पक्ष को इस भूमि पर हक दखल— कब्जा का अधिकार नहीं है, इस प्रकार प्रथम पक्ष का निवेदन है कि निर्गत नियम प्रथम पक्ष के पक्ष में रिक्त तथा द्वितीय पक्ष के पक्ष में निर्पेक्ष किया जाय।

द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने अपने कारण पृच्छा के अनुरूप बहस करते हुए बताया कि यह वाद मौजा— चिनगुआ के खाता सं0—5, प्लॉट सं0—7, रकबा—1.71 एवं खाता सं0—5, प्लॉट सं0—8, रकबा—1.21 एकड़ भूमि पर प्रारंभ किया गया है जो द्वितीय पक्ष के शांतिपूर्ण दखल— कब्जा में है जो पुलिस जाँच प्रतिवेदन में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि द्वितीय पक्ष के लोग विवादित भूमि पर धान का फसल लगाये हैं। द्वितीय पक्ष का यह भी यह भी कहना है कि गत

...की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	सर्वे खतियान पहल अहीर के नाम से बना था और जमीन्दारी जाने के बाद भूतपूर्व जमीन्दार के द्वारा फॉर्म K संधारित किया जिसमें प्रथम पक्ष के पूर्वज के द्वारा रैयती जमीन का दावा नहीं किया गया था। पहल अहीर ने कुल रकबा– 4.35 एकड़ भूमि खाता सं0–5, प्लॉट सं0–7 एवं 8 के अंतर्गत नन्हक राम इत्यादि को बंदोबस्त कर दिये तथा जमीन्दारी जाने के बाद नन्हक राम के नाम से रिर्टन दाखिल किया गया जिसमें सलाना मालगुजारी 13.90 रू0 दर्शाया गया था। बुझारत पंजी में नन्हक राम का दखल– कब्जा दर्शाया गया है। नन्हक राम के विभिन्न विक्रय पत्रों के द्वारा इस वाद की भूमि का द्वितीय पक्ष के पक्ष में विक्री किया है और उस विक्रय पत्र के आधार पर द्वितीय पक्ष के पक्ष में नामांतरण के पश्चात जमाबंदी का संधारण हुआ और द्वितीय पक्ष सरकार को मालगुजारी देकर लगान रसीद प्राप्त कर रहे हैं। प्रथम पक्ष के द्वारा स्वत्व वाद सं0– 71/2008 सक्षम न्यायालय में दायर किया गया था जिसमे द्वितीय पक्ष के विरूध निर्णय हुआ था जिसकी चुनौती द्वितीय पक्ष के लोग ने टाईटल अपील सं0– 30/2013 जिला जज पलामू के न्यायालय में दायर किये थे। माननीय जिला शत्र न्यायाधिश ने टाईटल सूट सं0– 71/2008 में पारित निर्णय को निरस्त करते हुए द्वितय पक्ष का हक, दखल–कब्जा एवं स्वामित्व को पुष्टि करते हुए द्वितीय पक्ष के सभी दावे को संपूष्ट किया गया है। द्वितीय पक्ष का यह भी कहना है कि हाल सर्वे का फाईनल खतियान द्वितीय पक्ष के वाद भूमि का प्रकाशित हुआ है। द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता का यह भी कहना है कि विविध वाद सं0– 01/2008 धारा 144 दं0प्र0सं0 का मुकदमा इसी न्यायालय में चला था जिसमें प्रथम पक्ष के दावा को निराधार पाकर वाद की कार्रवाई समाप्त कर दी गयी थी। द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता का यह भी कहना है कि प्रथम पक्ष को इस न्यायालय में वाद दायर करने का –	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2

कोइ अधिकार नहीं है जब सक्षम न्यायालय में एक बार स्वत्व का निराकरन हो गया है या व्यवहार न्यायालय में मामला लंबित है तो उसी भूमि पर धारा 144 दं0प्र0सं0 की प्रकिया नहीं चलाई जा सकती है। अतः इस वाद की कार्रवाई समाप्त कर दी जाय।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। कारण पृच्छा एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। अवलोकनोपरान्त ज्ञात होता है कि विवादी भूमि से संबधित द्वितीय पक्ष के द्वारा सक्षम न्यायालय में टाईटल अपील सं0— 30/2013 दाखिल किया गया था जिसमें प्रथम पक्ष के द्वारा दाखिल स्वत्व वाद सं0—71/2008 को निरस्त करते हुए द्वितीय पक्ष के पक्ष में आदेश पारित हुआ पुनः महेश्वर यादव के द्वारा टाईटल अपील सं0— 30/2013 में मारित आदेश के विरूद्ध में दिनांक 07.09.2016 को माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची में वाद दायर किया गया है जिसका फाईलिंग नं0—012010256742016 है जो वर्तमान में विचाराधिन है, ऐसी प्रस्थिति में इस वाद में कोई आदेश पारित करना न्याय हित में नहीं है। अतः इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

6/1/18

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
छत्तरपुर (पलामू)।

6/1/18

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
छत्तरपुर (पलामू)।

Digitally signed by ASHISH GANGWAR
Date: 2025.01.29 13:24:41 +05:30
Location: 192.168.1.113